भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3456
दिनांक 17.12.2024 को उत्तरित

संगठित और असंगठित रोजगार

3456. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में गांवों की वर्तमान कुल संख्या और उनमें संगठित रोजगार में लगे ग्रामीणों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के बजट में वृद्धि, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में वृद्धि का संकेत देती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;और
(ग) क्या सरकार संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने में चुनौतियों का सामना कर रही है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, युवाओं सहित सभी की रोजगार क्षमता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmesपर देखा जा सकता है।

बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल का औपचारीकरण करना, रोजगार को बढ़ाना और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित वेतन रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत वेतन रोजगार प्रदान करता है, प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। मनरेगा बजट में वृद्धि का एक कारण योजना के तहत काम की मांग में वृद्धि है, लेकिन इसके अलावा अन्य कारक भी हैं जैसे कि अधिसूचित वेतन दर में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि और सामग्री लागत में वृद्धि आदि।

***